प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.04.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे ,से चोरी का 01 मोबाइल फोन व 01 अवैध चाकू बरामद ।

दिनांक 17.02.2025 को वादी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से 02 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 305 (ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

आज दिनांक 15.04.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1. चीनू पुत्र कैलाश शर्मा निवासी अबूपुर थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष 2.समीर पुत्र रफीक निवासी भारत हॉस्पीटल के पास ,रावली रोड कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष को ईदगाह रोड से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त समीर उपरोक्त के कब्जे से चोरी किया गया 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ तथा अभियुक्त समीर उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ । उक्त मोबाइल फोन बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा अभियुक्त समीर उपरोक्त के विरुद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण -

पूछताछ पर अभियुक्त चीनू उपरोक्त ने बताया कि यह मोबाइल फोन मैंने दो-तीन माह पहले मलिक नगर मुरादनगर में एक घर में से चोरी किया था घटना में चोरी गए दूसरे मोबाइल के बारे में पूछा गया तो बताया कि वह मोबाइल मैंने किसी राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था जिससे मिले पैसे खर्च हो गए । अभियुक्त समीर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह चाकू मैंने लोगो को डराने धमकाने के लिए रखा था आज हम चाकू के डर का भय दिखाकर राह चलते लोगो से घटना करने की फिराक में थे कि आपने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. चीनू पुत्र कैलाश शर्मा निवासी अबूपुर थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष ।

2.समीर पुत्र रफीक निवासी भारत हॉस्पीटल के पास, रावली रोड कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास-पंजीकृत अभियोग/

अभियुक्त चीनू के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त समीर उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी का 01 अभियोग तथा आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त समीर उपरोक्त के कब्जे से चोरी किया गया 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ तथा अभियुक्त समीर उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 51 एल्यूमीनियम के चक्का, 04 रांगा की सिल्ली, 20000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाडी बरामद।

दिनांक 14.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की कृष्णा विहार फेस-2 स्थित कॉपर / एल्यूमीनियम की फैक्ट्री से करीब 150 किलो कॉपर, 350-400 किलो एल्यूमीनियम व करीब 100-150 किलो रांगा चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है।

आज दिनांक 15.04.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.शहजाद मलिक पुत्र शरीफ मलिक निवासी गली नं0-17, अहमदी मस्जिद के पास जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर जिला मेरठ, उम्र करीब 35 वर्ष 2.आबिद मलिक पुत्र निजामुद्दीन मलिक निवासी पबला थाना इंचौली जिला मेरठ, उम्र करीब 32 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 51 एल्यूमीनियम के चक्का, 04 रांगा की सिल्ली, अभियुक्त शहजाद मलिक के कब्जे से 12000/ व अभियुक्त आबिद मलिक के कब्जे से 8000/- रूपये (कुल 20000/- रूपये) व घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाडी बरामद हुई। तथा 02 अभियुक्तगण मौका पाकर भाग गये। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे 02 साथी जो भाग गये हैं उनके नाम अब्दुल कादिर पुत्र हसीन अहमद निवासी वार्ड नं0-6 अटारा रोड मौहल्ला कल्याण सिंह मवाना थाना मवाना जिला मेरठ व एहसान पुत्र अकबरशेख निवासी पाबला थाना इंचौली जिला मेरठ हैं। हम चारो लोग मौका पाकर फैक्ट्रियों से सिल्वर, रांगा, तांबा, आदि चोरी कर लेते हैं तथा अपनी इसी बोलेरो गाडी में रखकर मेरठ मुजफ्फ़रनगर ले जाकर बेच देते हैं। यह सामान जो हमसे बरामद हुआ है ये हम चारो ने मिलकर दिनांक 12.02.2025 की रात्रि में सेवाधाम फैक्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री से चोरी किया था तथा चोरी के सामान को इसी गाडी में रखकर ले गये थे। उस सामान में से कुछ सामान हम लोगो नें मेरठ में चलते फिरते लोगों को बेच दिया था जिसके पैसे हम चारो ने आपास में बराबर बांट लिये थे। यह

पैसे जो हमारे पास से मिले हैं यह उन्हीं में से बचे हुए पैसे है। बाकी चोरी के सामान को आज हम लोग बेचने के लिये जा रहे थे कि आपने हमें पकड लिया।

बरामदगी का विवरण :-

कब्जे से चोरी के 51 एल्यूमीनियम के चक्का, 04 रांगा की सिल्ली, 20000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाडी बरामद

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.शहजाद मलिक पुत्र शरीफ मलिक निवासी गली नं0-17, अहमदी मस्जिद के पास जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर जिला मेरठ, उम्र करीब 35 वर्ष।

2.आबिद मलिक पुत्र निजामुद्दीन मलिक निवासी पबला थाना इंचौली जिला मेरठ, उम्र करीब 32 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अब्दुल कादिर पुत्र हसीन अहमद निवासी वार्ड नं0-6 अटारा रोड मौहल्ला कल्याण सिंह मवाना थाना मवाना जिला मेरठ

2.एहसान पुत्र अकबरशेख निवासी पाबला थाना इंचौली जिला मेरठ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त शहजाद उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग , चोरी का 01 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग- 03)

अभियुक्त आबिद उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा जनपद मेरठ में पशु क्रुरता अधिनियम का 01 अभियोग, चोरी की 01 अभियोग, आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग- 04)

अभियुक्त शहजाद व आबिद के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।